प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 07.03.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त लोहा उर्फ विघा सागर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के निर्माण,बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.03.23 को थाना पलिया पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बोर बरामद करके अभियुक्त लोहा उर्फ विद्या सागर पुत्र रामछबीला निवासी ग्राम गजरौरा थाना पलिया जनपद खीरी को गजरौरा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना पलिया पर मु0अ0सं0 102/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तंमचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लोहा उर्फ विद्या सागर पुत्र रामछबीला निवासी ग्राम गजरौरा थाना पलिया जनपद खीरी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 207/2003 धारा 302/307 भादवि थाना पलिया जनपद खीरी ।
मु0अ0सं0 100/2023 धारा 504/506 भादवि थाना पलिया जनपद खीरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 अजीत कुमार मिश्रा, थाना पलिया जनपद खीरी
2. हे0का0 हरिओम मौर्य, थाना पलिया जनपद खीरी
3. का0 अंकित द्वितीय, थाना पलिया जनपद खीरी
4. का0 अश्वनी कुमार, थाना पलिया जनपद खीरी

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त पल्ले को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.03.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफर अभि0 पल्ले पुत्र स्व0 प्रदीप विश्वकर्मा नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को 01 किलोग्राम अवैध गांजा सहित मोहम्मदी रोड से मनवापुर रोड पर बह्दग्राम मनवापुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना फरधान पर मु0अ0सं0 96/2023 धारा 8/20 NDPS Act.बरामद करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
पल्ले पुत्र स्व0 प्रदीप विश्वकर्मा नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना नीमगांव जनपद खीरी

<u>बरामदगी-</u>
01 किलो ग्राम अवैध गांजा

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार यादव
2. का0 सुनील यादव

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण

1. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 6663/10 धारा 323/504/324 भादवि में वारण्टी अभियुक्त ध्रुव कुमार पुत्र लालबहादुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना भीरा पुलिस द्वारा अ0सं0 2875/21 धारा 323 भादवि में वारण्टी अभियुक्त संजय पुत्र रामस्वरूप थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना भीरा पुलिस द्वारा अ0सं0 2876/21 धारा 452/323/504/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र कल्लू थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध वृहद स्तर पर कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 535 लीटर अवैध शराब, 07 अवैध शराब भट्ठी बरामद कर 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा इस अभियान के तहत पुलिस टीम का गठन किया गया है जिनके द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र के गांवों में दबिश देकर अवैध शराब का निर्माण करने वालों को गिरफ्तार करके मौके पर भारी मात्रा में लहन नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 535 लीटर अवैध कच्ची शराब, 07 अवैध शराब भट्ठी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया है।